Interim Relief to Journalists

*312. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI SATISH AGARWAL:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Delegation of Indian Journalists' Union (IJU) and Delhi Union of Journalists (DUJ) met the Union Labour Minister on 30th November, 1995 in New Delhi on the issue of interim relief to the newspaper industry;

(b) if so, what are their main demands; and

(c) by when Government propose to announce their decision on the recommendations made by the Justice Manisana Singh Wage Board with regard to grant of interim relief for the newspaper industry as well as amendment of the Working Journalists Act to give the IJU representation on the Wage Board?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The main demand is to have 50% increase in gross wages as interim rates of wages, as agianst 15% increase recommended by the Manisana Singh Wage Boards for Journalists & Non-Journalists Newspaper & News Agency Employees. They have also requested for the amendment of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 so as to provide for an increase in the number of representatives on the Wage Boards.

As regard's amendment of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) & Miscellaneous Provisions Act, 1955, a Bill has already been introduced in Rajya Sabha on 16.5.95. As regard the payment of the Interim Relief, the matter is being processed and a final decision is expected to be taken soon.

विदेशों में रोजगार की सम्भावनाएं

*313. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या श्रम मंत्री 27 नवम्बर, 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 17 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बेरोजगार भारतीयों के लिए रोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु विदेशों में स्थित दूतावासों, उच्चायोगों तथा विदेशों में जाने वाले शिष्टमंडलों की सेवाएं लेने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिभा पलायन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्रम मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ख) हम अन्य देशों में रोजगार अवसरों की तलाश करने वाले भारतीयों के लिए पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेश स्थित भारतीय दूतावासों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। हम दौरे पर आए सरकारी प्रतिनिधियों मण्डलों के साथ और अधिक रोजगार बाजार तक पहुंचने के लिए भी जोर देते हैं। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति सभी श्रेणियों, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और व्यवसायिक के अंतर्गत आते हैं।

(ग) प्रतिभा पलायन को रोकने तथा विदेशों में रह रहे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को भारत लौटने हेतु आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ हैं: (i) विश्व विद्यालयों के और शैक्षणिक संस्थानों में श्रेष्ठता/उन्नत अध्ययनों के और अधिक केन्द्रों की स्थापना, (ii) विज्ञान के नवीन और सीमान्त क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अपेक्षित आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावसायिकों के कोर ग्रुप का सृजन, (iii) वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञतंत्रवादियों को वैज्ञानिक पूल हेतु योजना के अंतर्गत अस्थायी रोजगार का प्रावधान, और (iv) विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के ख्याति प्राप्त पुरुषों और महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सीमान्त और उभर रहे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए अल्पावधि तकनीकी कार्यों के लिए आमंत्रित किया जाना।